



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267689
CG-DL-E-14112025-267689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5021]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5021]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

का.आ. 5191(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 796 (अ), दिनांक 10 मार्च 2017 द्वारा केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के किमी 589.00 से किमी 641.00 (म्यदुकुर-दोर्नाला टी जंक्शन) और किमी 641.00 से किमी 741.950 (दोर्नाला टी जंक्शन - आत्मकुर-नेल्लोर खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 1331 (अ) दिनांक 9 मार्च 2018 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के म्यदुकुर से नेल्लोर खंड के डिजाइन किमी 585.820 (विद्यमान किमी 585.930) से डिजाइन किमी 744.355 (विद्यमान किमी 741.950) तक के खंड के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार लेन के 31.535 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तथा 5.160 किमी (0.516 किमी की लंबाई वाली (सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 13.089 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले चार लेन बाईपास के उपयोग के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर तथा पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 105.815 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 2.800 किमी

(0.28 किमी की लंबाई वाली (सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर तथा 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 3.57 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले पेब्ड शोल्डर्स सहित दो लेन बाईपास के उपयोग के लिए आधार दर के 90% पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	[बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	
आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में बसापुरम गांव के पास एनएच-67 के डिज़ाइन किमी 605.300 (विद्यमान किमी 604.450) पर	31.535	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	12.445	पेब्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
डिज़ाइन किमी 680.100 पर (आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में डी.सी. पल्ली गाँव के पास)	51.120	पेब्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
डिज़ाइन किमी 722.450 पर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बुचिरेडुपलेम गाँव के पास	42.25	पेब्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
कुल लंबाई	31.535 किमी [चार या अधिक लेन] 105.815 किमी [पेब्ड शोल्डर्स सहित दो लेन]	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
आंध्र प्रदेश के बाईएसआर जिले में बसापुरम गांव के पास एनएच-67 के डिज़ाइन किमी 605.300 (विद्यमान किमी 604.450) पर	म्यदुकुर	डिज़ाइन किमी. 586.560 (विद्यमान किमी. 586.560)	डिज़ाइन किमी. 592.570 (विद्यमान किमी. 591.810)	5.860	104.528	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	बडवेल	डिज़ाइन किमी. 623.300 (विद्यमान किमी. 622.345)	डिज़ाइन किमी. 630.625 (विद्यमान किमी. 628.220)	7.229	126.056	
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में डी.सी. पल्ली गाँव के पास डिज़ाइन किमी 680.100 पर	गोलापल्ली	डिज़ाइन किमी. 683.900	डिज़ाइन किमी. 685.500	1.32	15.44	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बुचिरेड्डीपालेम गाँव के पास डिज़ाइन किमी 722.450 पर	संगम	डिज़ाइन किमी. 707.100	डिज़ाइन किमी. 709.350	2.25	15.15	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
कुल लंबाई [चार या अधिक लेन]				13.089		
कुल लंबाई [पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन]				3.85		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश के बाईएसआर जिले में बसापुरम गांव के पास एनएच-67 के डिज़ाइन किमी 605.300 (विद्यमान	0.516^	5.16	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

किमी 604.450) पर			
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में डी.सी. पल्ली गाँव के पास डिज़ाइन किमी 680.100 पर	0.28*	2.80	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1.	587.550	587.630	बड़ा पुल	0.080
2.	589.425	589.495	फ्लाईओवर	0.070
3.	593.826	593.903	फ्लाईओवर	0.077
4.	621.209	621.402	बड़ा पुल	0.193
5.	628.419	628.515	बड़ा पुल	0.096
कुल				0.516

*विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1.	684.460	684.740	बड़ा पुल	0.280

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00/-रुपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेश धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1,752.79 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एपीडीआईवी/28/2025-पीआईयू कडपा/ई-254884]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2025

S.O. 5191(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 796 (E) dated 10th March 2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 589.00 to Km. 641.00 (Mydukur-Dornala T Junction) and from Km. 641.00 to Km.741.950 (Dornala T Junction - Atmakur- Nellore Section) of National Highway No.67 in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of Gazette Notification number S.O. 1331(E) dated 9th March 2018, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 31.535 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.160 km (having length of 0.516 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 13.089 km [Table-3] costing rupees ten crore or more for use of four lane and at 60% of the base rate specified in column (2) of Table 1 for net road section length of 105.815 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.800 km (having length of 0.28km [Table-4]) and at 90% of the base rate for bypasses having length of 3.57 km [Table-3] costing rupees ten crore or more for use of two lane with paved shoulders section on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for the Mydukur to Nellore section of National Highways No-67 from Design Km. 585.820 (existing Km.585.930) to Design Km. 744.355 (existing Km.741.950) in the State of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45

Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20
--	------

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and Length of structures (>60m))	Rate at which fee is payable
At Design Km.605.300 (existing Km.604.450) of NH-67 near Basapuram village in YSR District of Andhra Pradesh	31.535	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above
	12.445	60% for two lanes with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km.680.100 (Near D.C. Palli village in Nellore District of Andhra Pradesh)	51.120	60% for two lanes with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km.722.450 Near Buchireddypalem village in Nellore District of Andhra Pradesh	42.25	60% for two lanes with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-1 above
Total length	31.535 Km [Four or more lane] 105.815 Km [two lanes with paved shoulders]	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plazas (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging At	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Cr.)	
At Design Km.605.300 (existing Km.604.450) of NH-67 near Basapuram village in YSR District of Andhra Pradesh	Mydukur	Design Km. 586.560 (Existing Km.586.560)	Design Km. 592.570 (Existing Km.591.810)	5.860	104.528	150% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Badvel	Design Km.623.300 (Existing Km.622.345)	Design Km.630.625 (Existing Km.628.220)	7.229	126.056	
At Design Km. 680.100 near D.C. Palli village in Nellore District of Andhra Pradesh	Gollapalli	Design Km.683.900	Design Km.685.500	1.32	15.44	90% for two lanes with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km.722.450 near Buchireddypalem village in Nellore District of Andhra Pradesh	Sangam	Design Km.707.100	Design Km.709.350	2.25	15.15	90% for two lanes with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length [Four or more lane]				13.089		
Total Length [Two lane with paved shoulders]				3.85		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km.605.300 (existing Km.604.450) of NH-67 near Basapuram village in YSR District of Andhra Pradesh	0.516 [^]	5.16	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km.680.100 near D.C. Palli village in Nellore District of Andhra Pradesh	0.28*	2.80	60% for two lanes with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]Details are as under: -

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km.	To Km.		
1	587.550	587.630	Major Bridge	0.080
2	589.425	589.495	Flyover	0.070
3	593.826	593.903	Flyover	0.077
4	621.209	621.402	Major Bridge	0.193
5	628.419	628.515	Major Bridge	0.096
	Total			0.516

*Details are as under: -

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km.	To Km.		
1	684.460	684.740	Major Bridge	0.280

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340/- (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1,752.79 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. APDIV/28/2025-PIU Kadapa/E-254884]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.